(60)

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़,

(शाखा – अनुसंधान एवं विस्तार शाखा)
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर (छ0ग0)
फोन एवं फैक्स 0771-2552236 ई मेल ccfre@rediffmail.com

क्रमांक/10/अनु. एवं वि./TFRI/24/ 547 रायपुर, दिनांक 26.07. 2011

प्रति,

समस्त वनमंडलाधिकारी,
क्षेत्रीय, कार्य आयोजना एवं अनुसंधान एवं विस्तार वनमंडल
छत्तीसगढ़

विषय :– साल बोरर के रोकथाम हेतु दिये गये सुझावों पर अमल करने बाबत्।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र./10/अनु. एवं वि./TFRI/24/545 रायपुर, दिनांक 25.07. 2011

----00----

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र को निरस्त मानते हुए साल वनों में साल बोरर के प्रकोप को प्रारंभिक तौर पर रोकने हेतु टी.एफ.आर.आई. जबलपुर के वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये सुझाव निम्नानुसार हैं:–

1. साल के वृक्षों का पातन मानसून प्रारंभ होने के पूर्व किया जाये।
2. परिपक्व व अधिक परिपक्व साल वृक्षों में बीमारियों व कीट प्रकोप से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती हैं, इसलिए ऐसे वृक्षों का पातन नियमित रूप से होना चाहिए।
3. साल बोरर कीट से प्रभावित/क्षतिग्रस्त वृक्षों को चिन्हांकित कर कीट संक्रमण की अवस्था के अनुरूप उनका वर्गीकरण किया जाय।
4. मृत व मरणासन्न साल वृक्षों का पातन कर मानसून प्रारम्भ होने के पूर्व जंगल से हटा देना चाहिए।
5. पातन किये गये साल वृक्षों के अवशेषों को जंगल से हटाकर जंगल की सफाई (Hygiene) सुनिश्चित की जाय।
6. साल वनों में कमजोर व बीमार साल वृक्षों को विरलन द्वारा हटाकर, साल की सह–प्रजातियों से प्रतिस्थापन किया जाय।
7. साल–बोरर संक्रमित क्षेत्रों में साल–बीज संग्रहण तब तक लम्बित रखा जाय, जब तक कि क्षेत्र पूर्ण रूप से पुनर्जीवित नहीं हो जाता।
8. साल–बोरर संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित ऐसे क्षेत्र, जहां साल का पुनरूत्पादन संतोषप्रद नही हैं, वहां साल की सह–प्रजातियों का रोपण बीज द्वारा या प्रत्यारोपण द्वारा किया जाय।
9. चराई पर कारगर नियंत्रण रखा जाय।
10. साल वनों से काष्ठागारों की कम से कम दूरी 3 कि.मी. हो।

कृपया उपरोक्तानुसार दिये गये सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करें। कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा बनाये जा रहे कार्य योजनाओं में साल वनों के लिए साल–बोरर से रोकथाम हेतु विशेष प्रावधान किये जाने का अनुरोध है।

हस्ता/-

मुख्य वन संरक्षक (अनु0 एवं वि0)
छत्तीसगढ, रायपुर

पृ. क्रमांक/10/अनु. एवं वि. TFRI/24/548 रायपुर, दिनांक 26 .07. 2011

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/कार्य आयोजना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

26/07/11

मुख्य वन संरक्षक (अनु0 एवं वि0)
छत्तीसगढ, रायपुर



C:\Users\admin\Desktop\letter hindi .doc